

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 221419 पटना, दिनांक 20.02.15  
ग्रा0वि0-7(अंत)-57/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,  
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सभी उप विकास आयुक्त-अपर-जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत e-fms से संबंधित कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक- 25.02.2015 को पूर्वा0 10:00 बजे मुख्य सचिवालय पटना, स्थित अधिवेशन भवन में मनरेगा अंतर्गत e-fms से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है । कार्यशाला में प्रशिक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के Resource Person द्वारा दिया जायेगा।

कार्यशाला में e-fms से संबंधित निम्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान की जायेगी ।

1. Material List एवं FTO Generation से संबंधित प्रक्रिया ।
2. Administration List FTO Generation से संबंधित प्रक्रिया ।
3. MIS पर Tax भुगतान से संबंधित प्रक्रिया ।
4. नरेगा सॉफ्ट का प्रशिक्षण ।
5. प्रतिभागियों द्वारा e-fms से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ।

ऐसे जिले जहाँ प्रखंडों की संख्या 15 से कम है वहाँ निम्न प्रकार से प्रतिभागियों को नामित किया जायेगा ।

1. निदेशक (लेखा) DRDA - 1
2. लेखापाल - 1
3. कार्यक्रम पदाधिकारी - 1
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर - 1
5. MIS Officer (मनरेगा) - 1 (जहाँ MIS Officer (मनरेगा) नहीं हो अथवा MIS Officer (मनरेगा) के प्रभार में कार्यक्रम पदाधिकारी हो तो वहाँ से एक अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी) ।

ऐसे जिले जहाँ प्रखंडों की संख्या 15 से अधिक है वहाँ निम्न प्रकार से प्रतिभागियों को नामित किया जायेगा ।

- |    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 1. | निदेशक (लेखा) DRDA   | - 1   |
| 2. | लेखापाल              | - 2   |
| 3. | कार्यक्रम पदाधिकारी  | - 2   |
| 4. | कम्प्यूटर ऑपरेटर     | - 2   |
| 5. | MIS Officer (मनरेगा) | - 1 (जहाँ MIS Officer (मनरेगा) नहीं हो अथवा MIS Officer (मनरेगा) के प्रभार में कार्यक्रम पदाधिकारी हो तो वहाँ से एक अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी) । |

प्रतिभागियों को नामित करने से पूर्व इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि वे नरेगा सॉफ्ट की जानकारी रखते हो एवं अलग-अलग प्रखंडों में पदस्थापित हो । प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागी जिला के लिए e-fms के मास्टर ट्रेनर होंगे तथा आगे अन्य मनरेगा के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को जिला में प्रशिक्षित करेंगे ।

निदेश दिया जाता है कि प्रतिभागियों को नामित करते हुए उक्त तिथि को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन

  
(एस० एम० सज्ज)

संदि० 12/15

जापांक, 221419

पटना, दिनांक 20.02.15

प्रतिलिप:- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सचिव

20/2/15